



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1452) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2025

सं0 4/क्षेत्रस्थां(रांकर्मनियमं)-02-01/2024/610 (4)/रां-भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राजस्व कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- यह नियमावली "बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।-इस नियमावली में, जब तक किसी बात, विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग;
- "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
- "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग;
- "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित जिले के समाहर्ता;
- "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार अथवा उसके द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्राधिकार;
- "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त;
- "संवर्ग नियंत्रि प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
- "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;
- "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य आयोग/प्राधिकार;

- (xi) "वर्ष के अंदर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों का सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने अथवा किसी अन्य कारण से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति;

3. संवर्ग का गठन।—

- (i) यह राज्यस्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीनस्थ सभी स्थापना इकाईयाँ होंगी।
- (ii) इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा, परन्तु उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर इच्छित पदस्थापन पर विचार किया जा सकेगा।
- (iii) इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी मूल कोटि के पद होंगे।
- (iv) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व राजस्व कर्मचारी के मूल कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत कर्म स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

4. स्वीकृत बल।—

- (क) इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के पदों की संख्या उतनी ही होगी, जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित किये गए हों तथा उसके बाद की तिथियों से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत अथवा अवधारित की जाए।
- (ख) स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार समय-समय पर घटा/बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या निलंबित संचरण के अधीन रख सकेगी।
- (ग) इस संवर्ग के कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतनमान एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

5. उम्र सीमा।—राजस्व कर्मचारी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित किया गया हो, उस वर्ष के 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जाय।

6. आरक्षण।—राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

7. भर्ती।—

- (i) राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्थान से स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- (ii) राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियत मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए, आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधाक्रम में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। विभाग में इस प्रकार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा उन्हें जिला आवंटित किया जाएगा, जिसके उपरान्त संबंधित जिले के समाहर्ता द्वारा राजस्व कर्मचारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हुए अपने जिलान्तर्गत विभिन्न अंचल कार्यालयों में उनका पदस्थापन किया जाएगा तथा संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारियों को हलका आवंटित किया जाएगा।

8. परीक्षा अवधि।—

- (i) मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक राजस्व कर्मचारी पद ग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगा।
- (ii) परीक्षा अवधि के दौरान राजस्व कर्मचारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीक्षा अवधि एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि उसके आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है। बढ़ायी गयी अवधि में भी यदि आचरण एवं सेवा असंतोषजनक पायी जाय तो संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (iii) नियुक्ति और प्रथम वेतन-वृद्धि के बीच हिन्दी-टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में प्रथम वेतनवृद्धि नहीं रोकी जाएगी। तत्पश्चात् अगली वेतन-वृद्धि तभी मिलेगी जब यथानिर्धारित हिन्दी-टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

9. प्रशिक्षण।—राजस्व कर्मचारी के प्रशिक्षण के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्णय संसूचित किया जाएगा। विभाग के निर्णय के अनुरूप राजस्व कर्मचारी को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा निर्धारित की जाती है तो उसमें भी उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. विभागीय परीक्षा।— इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना के परामर्श से किया जाएगा।

11. सेवा-सम्पुष्टि।— परिवीक्षा पर नियुक्त राजस्व कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षाओं/प्रशिक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त करना एवं निम्नांकित शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा —

- (i) राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित पंद्रह दिवसीय अमानत का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना;
- (ii) राजस्व पर्वद, बिहार, पटना द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषयों का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।
- (iii) परिवीक्षा अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो।

12. वरीयता।— इस संवर्ग के सदस्यों की वरीयता सूची का संचारण राज्य स्तर पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। वरीयता के निर्धारण में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

परन्तु, नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त राजस्व कर्मचारियों की संयुक्त वरीयता संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा राज्य स्तर पर समेकित रूप से पुनर्निर्धारित की जाएगी, जिसके लिए निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाएगा :-

- (क) सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व कर्मचारी की वरीयता आयोग द्वारा संसूचित मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जायेगी।
- (ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनके योगदान की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी, किन्तु इस आधार पर नियुक्त कर्मियों उन कर्मियों से कनीय होंगे, जो उसी वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं।
- (ग) चकबंदी निदेशालय से छँटनीग्रस्त अमीनों के विभागान्तर्गत राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजन के मामले में तत्समय वरीयता सूची निर्धारण हेतु गठित विभागीय समिति के निर्णयानुसार अमीन के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से ही वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, किन्तु इस आधार पर नियुक्त कर्मियों उन कर्मियों से कनीय होंगे, जो उसी वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं।
- (घ) सीधी भर्ती के अलावा उपर्युक्त (ख), (ग) एवं अन्य किसी स्रोत से नियुक्त राजस्व कर्मचारियों के मामले में :-
 - (i) राजस्व कर्मचारी के पद पर योगदान की तिथि के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।
 - (ii) योगदान की तिथि समान होने पर जन्म तिथि के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।
 - (iii) योगदान की तिथि एवं जन्म तिथि समान होने पर नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

13. स्थानांतरण।— संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, नियुक्ति प्राधिकार अथवा अंचलाधिकारी द्वारा क्रमशः संपूर्ण राज्य में, जिले के अन्दर अथवा अंचल के अन्दर उसके सेवा में प्रवेश के आधार पर वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, किसी भी समय इस संवर्ग के किसी कर्मियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जा सकेगा। स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए अर्हता/प्रक्रिया का निर्धारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

14. अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।—

- (i) बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्रवाई/नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील संबंधी मामलों का विनियमन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (ii) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधानित नहीं किये गये सेवा शर्त, बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्णयों से नियंत्रित होंगे।

15. अवशिष्ट मामले।— जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, उन विषयों में, इस संवर्ग के कर्मियों, राज्य सरकार के समकक्ष कर्मियों के संदर्भ में किये गए प्रावधान से शासित होंगे।

16. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (i) एतद् द्वारा राजस्व कर्मचारी संवर्ग के संदर्भ में पूर्व में निर्गत बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) सहित अन्य सभी पत्र/आदेश/परिपत्र निरसित समझे जाएंगे।

- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व के सरकारी परिपत्रों/नियमावलियों या अन्य के अधीन की गई सभी नियुक्तियाँ कानूनन विधिमान्य रहेंगी, मानो वे इस नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन की गयी हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

2 सितम्बर 2025

सं० 4/क्षे०स्था०(रा०कर्म०नियम०)-02-01/2024/611(4)/रा० अधिसूचना संख्या-610 दिनांक-02.09.2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-(03) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

The 2nd September 2025

No. 4/Kshe.Stha.(Ra.Kar.Niyam.)-02-01/2024-611(4)/R—In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment process and other service conditions of Rajaswa Karmachari :-

1. Short title, Extent and Commencement.-

- (i) These rules may be called the "Bihar Rajaswa Karmachari Cadre Rules, 2025.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force from the date of publication in the Bihar Gazette.

2. Definitions.- In these Rules, unless the subject or context otherwise requires -

- (i) "State Government" means the State Government of Bihar;
- (ii) "Department" means the Department of Revenue and Land Reforms;
- (iii) "Governor" means the Governor of Bihar;
- (iv) "Cadre" means the Bihar Rajaswa Karmachari Cadre;
- (v) "Appointing Authority" means the Collector of the concerned District;
- (vi) "Disciplinary Authority" means the Appointing Authority or any other authority prescribed by him;
- (vii) "Appellate Authority" means the Divisional Commissioner of the concerned Division;
- (viii) "Cadre Controlling Authority" means the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna;
- (ix) "Year" means the financial year i.e., the period from 1st of April to 31st of March of the following year;
- (x) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission or Any Other Commission/Authority as specified by the State Government,
- (xi) "Vacancy in a Year" means a vacancy arising in a particular year due to creation of new posts in the service, retirement, death, resignation, removal, dismissal or any other reason;

3. Formation of the Cadre.-

- (i) This will be a State level non-gazetted cadre, which will include all establishment units subordinate to the Revenue and Land Reforms Department.
- (ii) The members of this cadre shall not be posted in their home district, however within a year of their retirement, desired posting may be considered.
- (iii) This cadre will have posts of Rajaswa Karmachari basic grade.
- (iv) Employees appointed and working in the basic grade of Rajaswa Karmachari before the implementation of these Rules shall automatically be deemed to be included in this cadre.

4. Sanctioned strength.-

- (a) The number of posts of Rajaswa Karmachari in this cadre shall be same as have been sanctioned/determined by the State Government till the date of coming into force of these rules and sanctioned or determined by the State Government from time to time as per the requirements.
- (b) The State Government may increase or decrease the strength of the sanctioned strength from time to time or may keep any number of posts under abeyance.
- (c) The employees of this cadre shall be paid as per pay scale and other allowances as determined by the State Government.

5. Age Limit.-The minimum age of a candidate for Rajaswa Karmachari shall not be less than 21 years as on 1st of August of the year in which application is invited. The maximum age limit shall be the same as may be fixed from time to time by the General Administration Department of the State Government.

6. Reservation.-In the appointment to the post of Rajaswa Karmachari, the provisions of reservation/roster will be applicable as determined by the State Government from time to time.

7. Recruitment.-

- (i) For appointment to the post of Rajaswa Karmachari, a candidate must have Graduation or equivalent qualification from any recognized University/ equivalent institution.
- (ii) The direct recruitment to the post of Rajaswa Karmachari shall be made on the basis of merit wise recommendation obtained, based on the result of the competitive examination conducted by the Commission, following the norms and procedures prescribed for the Graduate level competitive examination. On the basis of such recommendation received in the department, they will be allotted to the District by the Cadre Controlling Authority, after which they will be posted in various Circle Offices under their respective District after appointing Rajaswa Karmachari candidates by Collector of the concerned District and Halka shall be allotted to Rajaswa Karmachari by concerned Circle Officer.

8. Probation period.-

- (i) Every Rajaswa Karmachari appointed against a substantive vacancy shall be on probation for a period of one year from the date on which he assumes charge.
- (ii) If the conduct and service of the Rajaswa Karmachari is not found satisfactory during the probation period, the probation period may be

extended by the appointing authority for one more year, if it appears that there is a possibility of improvement in his conduct and service. If the conduct and service is found unsatisfactory even during the extended period, his service may be terminated by the Cadre Controlling Authority.

- (iii) In case the Hindi noting and drafting test is not organised between the appointment and the first pay increment, the first pay increment will not be stopped. Thereafter, the next pay increment will be given only when the Hindi noting and drafting test and the Computer Competency test are cleared.

9. Training.-The decision regarding the training of Rajaswa Karmachari will be communicated by the department from time to time. It will be compulsory for the Rajaswa Karmachari to undergo training as per the decision of the department. If any examination is scheduled at the end of the training, it will be mandatory to pass that also.

10. Departmental Examination.-The employee appointed through direct recruitment on the basic grade post of this cadre must pass all the papers of the departmental examination as prescribed. The subjects, syllabus and procedure of the departmental examination will be decided in consultation with the Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar, Patna

11. Service Confirmation.-After the probation period of a Rajaswa Karmachari appointed on probation is over, it will be mandatory to pass the following examinations/training and fulfill the following conditions for confirmation of service -

- (1) Successfully completing the fifteen days' Amanat training conducted by the Rajaswa Survey Training Institute;
- (ii) Departmental examination conducted by the Board of Revenue, Bihar, Patna either by itself or through any other agency, the subjects for which will be determined by the Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar, Patna.
- (iii) The conduct and service during the period of probation has been satisfactory.

12. Seniority.- The seniority list of the members of this cadre will be maintained by the Cadre Controlling Authority at the state level. In determining seniority, the principles and procedures laid down from time to time by the General Administration Department of the State Government will be followed.

However, The combined seniority of the Rajaswa Karmacharis appointed before the coming into force of the rules shall be re-determined by the State Government in a consolidated manner, for which the following points shall be kept in consideration:-

- (a) The seniority of the Rajaswa Karmacharis appointed through direct recruitment shall be determined as per the merit order notified by the Commission.
- (b) The seniority of the employee appointed on compassionate grounds shall be determined as per the date of their joining, but the employee appointed on this basis shall be junior to those employees who have been appointed on the basis of competitive examination in the same year.
- (c) In the case of adjustment of Amins retrenched from the Consolidation Directorate on the post of Rajaswa Karmachari under the department, seniority shall be determined from the date of first appointment on the post

of Amin as per the decision of the departmental committee constituted for determining the seniority list at that time, but the employee appointed on this basis shall be junior to those employees who have been appointed on the basis of competitive examination in the same year.

- (d) In case of Rajaswa Karmacharis appointed from any sources other than direct recruitment as per (b), (c) and any other sources mentioned above:-
- (i) Seniority will be determined according to the date of joining the post of Rajaswa Karmachari.
 - (ii) If the date of joining is same, seniority will be determined as per the date of birth.
 - (iii) If the date of joining and date of birth are same, seniority will be determined as per the English alphabet of the name.

13. Transfer.- Any employee of this cadre may be transferred and posted by the Cadre Controlling Authority or Appointing Authority or Circle Officer at any time throughout the state or within the district or within the circle respectively, keeping intact the seniority based on his entry into the service. The qualification/process for transfer/posting can be determined by the Cadre Controlling Authority.

14. Discipline, Control and Appeal.-

- (i) The matters relating to disciplinary action/control, classification and appeal in respect of personnel of the Bihar Rajaswa Karmachari Cadre shall be regulated as per the provisions contained in the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) will be consistent.
- (ii) The service conditions not specifically provided in these rules shall be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued by the State Government from time to time.

15. Residual Matters.-In matters in respect of which no specific provision has been made in these rules, the personnel of this cadre shall be governed by the provisions made in respect of equivalent personnel of the State Government.

16. Repeal and Savings.-

- (i) All letters/orders/circulars including The Bihar Rajaswa Karmachari Cadre Rules, 2011 (as amended from time to time) issued earlier regarding appointment of Rajaswa Karmachari shall be deemed to be repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, all appointments made under earlier Government circulars/rules or others shall continue to be legally valid as if they were made under the relevant provisions of these rules.

By order of the Governor of Bihar,
Dipak Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1452-571+500-डी0टी0पी0

Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>